राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड

56वीं बैठक दिनांक 24 फरवरी 2016 की कार्य सूची

1. 55वीं बैठक के कार्य बिंदुओं की पुष्टि
2. बैंकर्स स्थायी समितियों की बैठक में लिए गए निर्णयों की पुष्टि
3. **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एम.एस.एम.ई.)** - एम.एस.एम.ई. ऋण / प्रधानमंत्री मुद्रा **(MUDRA)** योजना / मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना / महिला उद्यमी हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना
4. **राज्य सरकार से महत्वपूर्ण विषयों पर अपेक्षाएं** - बैंकों के एन.पी.ए. की वसूली (सरफेसी एक्ट, वसूली प्रमाण पत्र, इरादतन चूककर्ता / बैंक द्वारा भूमि अभिलेखों पर ऑन-लाइन प्रभार का सृजन / वसूली प्रमाण पत्र का ऑन-लाइन फाइलिंग / एस.एच.जी. - स्टॉम्प शुल्क में छूट
5. **सरकारी ऋण योजनाएं** - प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम / वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना / राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन / स्पेशल कमपोनेंट प्लान / राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन /
6. **राज्य में बैंकिंग प्रगति के द्योतक** - वार्षिक ऋण योजना वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 / ऋण-जमा अनुपात
7. **सामाजिक सुरक्षा योजना-** वित्तीय समावेशन / टेलीकॉम कनेक्टिविटी / आधार कार्ड / (1181 + 216 = 1397 एस.एस.ए.) / सौलर वी.सैट (नाबार्ड) / बी.एस.एन.एल. (कनेक्टिविटी युक्त 216 एस.एस.ए. के नाम) / प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा / प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा / अटल पेंशन योजना / स्टार्ट अप इण्डिया / स्टैण्ड अप इण्डिया
8. **कृषि ऋण वितरण** - मियादी एवं फसली ऋण वितरण / फसल बीमा योजना
9. **.अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य किसी महत्वूपर्ण विषय पर चर्चा।**

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड
56वीं बैठक दिनांक , 24 फरवरी 2016 की कार्य सूची

एजेण्डा संख्या	विवरण
1) 55वीं बैठक के कार्य बिंदुओं की पुष्टि	एस.एल.बी.सी. की **55वीं** बैठक दिनांक 19 नवम्बर, 2015 के कार्य बिंदुओं पर बैंकों द्वारा की गयी कार्रवाई से एस.एल.बी.सी. को अवगत करा दिया गया है, जिसका पूर्ण विवरण 56वीं बैठक की पुस्तिका में संलग्न है। अत: सदन से इस संबंध में पुष्टि अपेक्षित है।
2) बैंकर्स स्थायी समितियों की बैठक	एस.एल.बी.सी. की 4 स्थायी समितियाँ बनायी गयी हैं जो संबंधित विषयों पर बैठक करके समस्याओं का समाधान करती हैं जिनका आयोजन निम्न प्रकार किया गया ; क) वित्तीय समावेशन हेतु गठित उप-समिति की बैठक दिनांक 03 फरवरी, 2016 ख) अवस्थापना विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक दिनांक 09 फरवरी, 2016 ग) वन एवं ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक दिनांक 11 फरवरी, 2016 घ) समाज कल्याण बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक दिनांक 11 फरवरी, 2016 उक्त समितियों में लिए गए निर्णय संबंधित एजेण्डे में समाहित किए गए हैं, जिनकी बिंदुवार पुष्टि के लिए संदन से अनुरोध करते हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है।

3) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एम.एस.एम.ई.)

क) एम.एस.एम.ई. ऋण - " विवरणी SLBC - 33 "

सभी बैंकों द्वारा राज्य में एम.एस.एम.ई. की निम्न इकाईयों के अंतर्गत माह दिसम्बर, 2015 तक कुल ₹ **17576.83 करोड़** के ऋण वितरित किए गए हैं। (₹ करोड़ में)

सूक्ष्म इकाई		**लघु इकाई**		**मध्यम इकाई**		**ऋण राशि**		**कुल योग**
विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	**एम.एस.एम.ई**
2116.25	2655.84	3310.03	4341.03	3823.56	1330.12	9249.84	8326.99	17576.83

ख) प्रधानमंत्री मुद्रा (MUDRA) योजना

सभी बैक **"प्रधानमंत्री मुद्रा योजना"** के अंतर्गत अपने निर्धारित लक्ष्यों को 31 मार्च, 2016 तक शत प्रतिशत प्राप्त करना सुनिश्चित करें। इस योजना के तहत तीन श्रेणियों - **शिशु, किशोर एवं तरूण** के अंतर्गत जनवरी, 2016 तक बैंकों द्वारा निम्नवत् ऋण वितरित किए जा चुके हैं : (₹ करोड़ में)

योजना	**ऋण राशि सीमा**	**निर्धारित लक्ष्य राशि**	**वितरित ऋणों की संख्या**	**वितरित ऋण राशि**
शिशु	₹ 50000 तक के ऋण (ओवरड्राफ्ट राशि सम्मिलित)	376.93	78560	139.60
किशोर	₹ 50,001 से ₹ 5 लाख तक	831.34	16152	388.92
तरूण	₹ 5 लाख से ₹ 10 लाख तक	520.12	3141	236.84
कुल संख्या एवं ऋण राशि		**1728.39**	**97853**	**765.36**

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दिनांक 07 जनवरी, 2016 को परेड ग्राउण्ड, देहरादून में "मुद्रा मैगा कैम्प" का आयोजन किया गया। इसी प्रकार पंजाब नेशनल बैंक एवं बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा भी मुद्रा कैम्प का आयोजन कर, ऋण प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त जिला मुख्यालयों पर भी अग्रणी जिला प्रबंधकों द्वारा "मुद्रा कैम्प" आयोजित कर अधिक से अधिक संख्या में इच्छुक उद्यमियों को "मुद्रा ऋण" उपलब्ध कराए गए। इसी क्रम में अन्य सभी बैंकों को भी निर्देशित किया गया है कि दिनांक 29 फरवरी, 2016 तक "मुद्रा ऋण" वितरण कैम्प आयोजित करें तथा संबंधित लक्ष्यों की प्राप्ति की जाएं।

ग) मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

उत्तराखंड राज्य में **"मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना"** लागू की गयी है, जिसके अंतर्गत ऐसे सभी प्रकार के व्यवसाय एवं सेवा गतिविधियाँ जिनकी कुल परियोजना **लागत ₹ 3.00 लाख** एवं सूक्ष्म विनिर्माणक उद्यम की लागत **₹ 5.00 लाख** से अधिक न हो। इन सभी योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों के स्वयं का योगदान **10 %** होना निहित है।

घ) महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना

राज्य सरकार द्वारा महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना लागू की गयी है, जिसमें आगामी 3 वर्षों में **10,000 महिलाओं** को लाभान्वित करने का लक्ष्य है और विनिर्माणक उद्यम हेतु प्लांट व मशीनरी में निवेश की सीमा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम हेतु क्रमश:**₹ 25 लाख, ₹ 5 करोड़** एवं **₹ 10.00 करोड़ है** तथा सेवा क्षेत्र में निवेश की सीमा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम हेतु क्रमश: **₹ 10 लाख, ₹ 2.00 करोड़ एवं ₹ 5.00 करोड़** है। इस योजना के अंतर्गत प्राथामिकता के आधार पर बैंकों द्वारा उनकी सामान्य शर्तें एवं निबंधन के अनुसार ऋण उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

4) राज्य सरकार से महत्वपूर्ण विषयों पर अपेक्षाएं	**(क) बैंकों के एन.पी.ए. की वसूली - " विवरणी SLBC - 35 "** राज्य के समस्त बैंकों द्वारा ₹ 48271.97 करोड़ के ऋण 12,84,809 लाभर्थियों को दिए गए हैं जिसमें से 90,462 ऋणियों पर ₹ 1900.54 करोड़ के ऋण बकाया हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है : (₹ करोड़ों में)

ऋण विवरण	**चूककर्ता की संख्या**	**बकाया ऋण राशि**
कृषि ऋण	46,512	457.88
एस.एम.ई. ऋण	28,428	1060.25
वैयक्तिक ऋण	14,795	187.44
वाणिज्य एवं ससंथागत ऋण	727	194.97
कुल	**90,462**	**1900.54**

उपरोक्त बकाया ऋण राशि की वसूली हेतु 16,570 चूककर्ता ऋणियों के विरुद्ध ₹ 116.82 करोड़ की वसूली प्रमाण पत्र (आर.सी.) जारी किए गए हैं तथा इरादतन चूककर्ताओं के विरुद्ध सरफेसी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गयी है एवं जानबूझ कर ऋणों का भुगतान न करने वाले चूककर्ताओं पर सिविल सूट फाइल किया गया है। शासन से अपेक्षा है कि बैंक ऋणों की वसूली हेतु निम्न बिंदुओं पर शीघ्र कार्रवाई हेतु जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए जाएं :

अ) बैंक ऋणों की वसूली हेतु विशेष अभियान के तहत माह मार्च, 2016 में वसूली सप्ताह मनाया जाए।

ब) सरफेसी एक्ट के अंतर्गत त्वरित कार्रवाई की जाए।

स) धोखाधड़ी के विरुद्ध दर्ज प्राथतिकता रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) पर शीघ्र कार्रवाई की जाए।

एम.एस.एम.ई. के अंतर्गत बैंकों का **कुल एन.पी.ए.** दिसम्बर, 2015 में ₹ **1060.25 करोड़** है। प्रमुख सचिव (एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता में रूग्ण, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के पुनर्जीवन एवं पुनर्वास (**Rehabilitation**) हेतु पैकेज एवं नीति निर्धारण हेतु दिनांक 18 जनवरी, 2016 को प्रथम बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक, उद्योग विभाग, विद्युत विभाग, आबकारी विभाग तथा

	बैंकर्स द्वारा सहभागिता की गयी तथा इस संबंध में एक स्पष्ट नीति बनाने के निर्देश दिए गए हैं। **ख) बैंक द्वारा भूमि अभिलेखों पर ऑन-लाइन प्रभार का सृजन** एन.आई.सी. ने बैंकों द्वारा संबंधित साफ्टवेयर का प्रयोग करने के लिए दिनांक 08 फरवरी, 2016 को एक दिवसीय प्रशिक्षण / कार्यशाला का आयोजन किया था। इसी क्रम में राज्य सरकार से अनुरोध है कि बैंकों द्वारा भूमि अभिलेखों पर ऑन-लाइन प्रभार अंकित करने हेतु "सॉफ्टवेयर" को सभी बैंकों के उपयोग हेतु अधिसूचना जारी करने की कृपा करें। **(ग) वसूली प्रमाण पत्र का ऑन-लाइन फाइलिंग** राज्य सरकार से अनुरोध है कि बैंकों द्वारा वसूली प्रमाण पत्र को **राजस्व विभाग** के **वेबपोर्टल** पर **" ऑन-लाइन फाइलिंग "** करने की सुविधा प्रदान करें। **(घ) एस.एच.जी. - स्टॉम्प शुल्क में छूट :** राज्य सरकार से अनुरोध है कि बैंकों द्वारा ₹ **5 लाख** तक के वित्तपोषित एस.एच.जी. को कृषि ऋणों की भाँति **"स्टॉम्प शुल्क"** से विमुक्त रखने की अधिकसूचना जारी करवाने की व्यवस्था करें।
5) सरकारी ऋण योजनाएं	**क) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम - " विवरणी SLBC - 6 "** (01.04.2015 से 31.12.2015 तक) **(₹ लाखों में)**

विभाग	वार्षिक लक्ष्य (वर्ष 2015-16)	आवेदन प्राप्त	आवेदन स्वीकृत	आवेदन वितरित	वितरित ऋण राशि	लम्बित आवेदन पत्र
डी0आई0सी0	284	556	436	406	1024.76	30
के0वी0आई0सी0	212	380	309	296	909.08	13
के0वी0आई0बी0	213	142	114	114	258.31	00

कुल योग	**709**	**1078**	**859**	**816**	**2192.15**	**43**

पी.एम.ई.जी.पी. की **वेबपोर्टल** जिस पर आवेदन पत्रों की **ई-ट्रेकिंग की सुविधा ऑन लाइन** उपलब्ध है, उस पर बैंकों द्वारा निस्तारित किए गए आवेदन पत्रों का विवरण विलम्ब से अंकित किए जाने के कारण विभाग एवं बैंकों के आँकड़ों में विसंगति पाई गई है। अत: विभाग से अनुरोध है कि इस संबंध में बैंकों से समन्वय स्थापित करें।

ख) वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना - " विवरणी SLBC - 8 "

वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत प्रगति निम्नवत् है :

(01.04.2015 से 31.12.2015 तक) **(₹ लाखों में)**

मद - लक्ष्य	**आवेदन प्राप्त**	**आवेदन स्वीकृत**	**आवेदन वितरित**	**वितरित की गयी ऋण राशि**	**लम्बित आवेदन पत्र**	**निरस्त आवेदन**
वाहन - 250	193	174	174	1167.57	00	19
गैर-वाहन - 250	123	106	103	1362.88	03	17
कुल योग - 500	**316**	**280**	**277**	**2530.45**	**03**	**36**

पर्यटन विभाग ने **"उत्तराखंड ग्रामीण पर्यटन उत्थान योजना"** को लागू किया है जिसके अंतर्गत ग्रामीणों को पर्यटन क्षेत्र से जोड़कर लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की उप-समिति दिनांक 03 फरवरी, 2016 में लिए गए निर्णयों के क्रम में सभी बैंक अपने कार्य क्षेत्र में **दिनांक 29 फरवरी, 2016** तक **कैम्प** लगाकर एम.एस.ई ./ मुद्रा / सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऋण वितरण और लम्बित आवेदन पत्रों के शीघ्र निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

ग) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन -

भारत सरकार की **" नेशनल रुरल लाइवलीहुड मिशन " (NRLM)** योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु राज्य में **3000 एस.एच.जी.** को बैंकों से लिंकेज करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(31.12.2015 तक)

कैश क्रेडिट (सी.सी.एल.)			**सावधि ऋण (टी.एल.)**		
आवेदन प्राप्त	**आवेदन स्वीकृत**	**लम्बित आवेदन**	**आवेदन प्राप्त**	**आवेदन स्वीकृत**	**लम्बित आवेदन**
330	**254**	**76**	**176**	**73**	**103**

NRLM के अंतर्गत दिये जाने वाले एस.एच.जी. ऋण पर बैंकों द्वारा **7 प्रतिशत से अधिक ब्याज नहीं लिया जाएगा** और संबंधित बैंक **Interest Subvention** की क्लेम राशि, नाबार्ड के माध्यम से ऑन-लाइन प्राप्त करेंगे।

घ) स्पेशल कम्पोनेंट प्लान : -

स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अंतर्गत **माह दिसम्बर, 2015 तक** समस्त बैंकों द्वारा की गयी प्रगति :-

i) अनुसूचित जाति :

वार्षिक लक्ष्य	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन	वितरित आवेदन	बैंक ऋण राशि (₹ लाखों में)	लम्बित आवेदन	निरस्त आवेदन
1588	**452**	**435**	**424**	**352.66**	**11**	**17**

ii) अनुसूचित जन-जाति :

वार्षिक लक्ष्य	**प्राप्त आवेदन**	**आवेदन स्वीकृत**	**वितरित आवेदन**	**बैंक ऋण राशि (₹ लाखों में)**	**लम्बित आवेदन**	**निरस्त आवेदन**
100	101	100	99	106.38	01	01

iii) अल्पसंख्यक समुदाय :

वार्षिक लक्ष्य	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन	वितरित आवेदन	बैंक ऋण राशि (₹ लाखों में)	लम्बित आवेदन	निरस्त आवेदन
17	19	19	19	14.20	00	00

ङ) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन : **" विवरणी SLBC - 17 "**

एन.यू.एल.एम. के अंतर्गत माह दिसम्बर, 2015 तक समस्त बैंकों द्वारा की गयी प्रगति :-

एस.एच.जी. बैंक लिंकेज हेतु वार्षिक लक्ष्य (वर्ष 2015-16)		प्रेषित आवेदनों की संख्या	स्वीकृत आवेदनों की संख्या	वितरित आवेदन की संख्या	लम्बित आवेदन की संख्या	निरस्त आवेदन की संख्या
एसएचजी	लाभार्थियों की संख्या					
व्यक्तिगत	1000	344	234	202	32	110
समूह	100	01	01	01	00	00
कुल	1100	345	235	203	32	110

नोट : राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की स्थायी समितियों की बैठकों में यह निर्णय लिया गया था कि ऋण आवेदन पत्र बैंकों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तिमाही में क्रमश: 33%, 33% एवं 34% के अनुपात में प्रेषित किए जाएंगे, परंतु प्रथम तिमाही में किसी भी योजना के अंतर्गत आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित नहीं किए गए और द्वितीय एवं तृतीय त्रैमास में अपेक्षाकृत अधिक संख्या में एक साथ आवेदन बैंकों को प्रेषित किए गए।

6. राज्य में बैंकिंग प्रगति के द्योतक

क) वार्षिक ऋण योजना वित्तीय वर्ष 2015-16 - " विवरणी SLBC - 02 "

बैंकों की वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत **66 प्रतिशत** की उपलब्धि दर्ज हुई है। निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष दिसम्बर, 2015 तक की गई उपलब्धि निम्नवत् है :

(₹ करोड़ों में)

गतिविधि	**वार्षिक लक्ष्य**	**उपलब्धि**	**उपलब्धि प्रतिशत**
फार्म सेक्टर	6979	4550	**65 %**
नॉन-फार्म सेक्टर	3043	2148	**71 %**
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	4502	2842	**63 %**
योग	**14524**	**9540**	**66 %**

ख) वार्षिक ऋण योजना वित्तीय वर्ष 2016-17

नाबार्ड द्वारा प्रस्तुत " **FOCUS PAPER"** के आधार पर वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए राज्य में प्रोजेक्टिड क्रेडिट पोटेन्शियल ₹ **16,525.82 करोड़** निर्धारित किया गया है, जिसके अनुसार सभी जिलों हेतु वार्षिक ऋण योजना अग्रणी जिला प्रबंधकों द्वारा तैयार की गयी है जिसका कुल योग ₹ **16,183.08** करोड़ है।

ग) ऋण-जमा अनुपात - " विवरणी SLBC - 01 "

राज्य का ऋण-जमा अनुपात लगभग **58 %** है। राज्य में बैंकों की जमा राशियों में सितम्बर, 2015 के सापेक्ष दिसम्बर, 2015 में ₹ **1816 करोड़** (02 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है जब कि ऋण राशियों में ₹ **1960 करोड़** (04 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की गयी है।

निम्न बैकों का ऋण-जमा अनुपात **40 प्रतिशत** से कम है, इसे बढ़ाने हेतु अपने बैंक की रणनीति से सदन को अवगत कराएं।

बैंक	**शाखाओं की संख्या**	**दिसम्बर, 2015**
यूको बैंक	55	37 %
सेन्ट्रल बैंक	39	28 %
आई.सी.आई.सी.आई.	27	38 %
इण्डियन बैंक	12	24 %
विजया बैंक	10	31 %

निम्न जिलों का **ऋण-जमा अनुपात 30 %** तक भी नहीं पहुँचा है। अत: अग्रणी जिला प्रबंधक, जिला प्रशासन एवं सभी बैंक शाखा प्रबंधकों के साथ बैठक करें और अपने जिले का ऋण-जमा अनुपात बढ़ाने की दिशा में समुचित रणनीति के तहत ठोस कदम उठाना सुनिश्चित करें तथा अग्रणी जिला प्रबंधक इस संबंध में सदन को अवगत कराएं।

जिला	**शाखाओं की संख्या**	**दिसम्बर, 2015**
अल्मोड़ा	143	22 %
चमोली	91	28 %
चम्पावत	49	29 %
रूद्रप्रयाग	51	26 %

7. सामाजिक सुरक्षा योजना	राज्य सरकार से अनुरोध है कि सभी संबंधित विभागों को निर्देशित करें कि वे जिले का ऋण-जमा अनुपात बढ़ाने से संबंधित बैंकयोग्य योजनाएं (Bankable schemes in accordance with the specific areas) बनाकर, क्रियान्वयन हेतु संबंधित अग्रणी जिला प्रबंधकों को उपलब्ध कराएं। **घ) आरसेटी** _सभी जिलों में आरेसटी के माध्यम से 31429 लाभार्थियों, को प्रशिक्षण देने के लिए 1106 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया । इन प्रशिक्षित लाभार्थियों में से 15822 ने स्वरोजगार आरम्भ किया है तथा 5615 लाभार्थियों ने बैंक ऋण प्राप्त किया है। **क) वित्तीय समावेशन - प्रधानमंत्री जन-धन योजना** बी.एस.एन.एल. ने सूचित किया है कि राज्य के **1397** एस.एस.ए. / क्लस्टर जहाँ ब्रॉड बैण्ड कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं थी, उनमें से **216** स्थानों पर कनेक्टिविटी उपलब्ध हो सकती है (**40 एस.एस.ए.** में ब्रौड बैण्ड तथा **176 क्लस्टर** पर वाई.-मैक्स कनेक्टिविटी)। इसलिए संबंधित बैंक उन स्थानों में ऑन-लाइन बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने हेतु अपनी आवश्यकतानुसार ब्रॉड बैण्ड / वाई.-मैक्स कनेक्टिविटी प्राप्त करने हेतु बी.एस.एन.एल. से आवेदन कर सकते हैं। बी.एस.एन.एल. से आग्रह है कि **शेष 1181 एस.एस.ए. / क्लस्टर** में भी कम से कम **128 kbps** गतियुक्त ब्रॉड बैण्ड कनेक्टिविटी पहुँचाने की समुचित व्यवस्था करें, ताकि बैंकों द्वारा वहाँ ऑन-लाइन बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा सकें।
	बैंकों को आवंटित एस.एस.ए. जहाँ अभी तक कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है, और वहाँ वर्तमान में ऑन-लाइन बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने हेतु प्राथमिकता के आधार पर अपने एस.एस.ए. को चिन्हित कर वहाँ वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार **"सोलर वी. सैट"** स्थापित करने हेतु प्रस्ताव नाबार्ड को प्रेषित करें।

ख) आधार कार्ड

समस्त बैंक नियंत्रक अपनी शाखाओं को निर्देशित करें कि वे अपने समस्त ग्राहकों के बैंक खाते / खातों से "आधार कार्ड संख्या" जोड़ने का कार्य शीघ्र पूर्ण करें। अब तक बैंकों को प्राप्त **6,72,355 खाताधारकों** के आधार कार्ड संख्या को उनके खातों से जोड़ दिया गया है।

समस्त बैंक नियंत्रक अपनी शाखाओं को निर्देशित करें कि वे अपने समस्त ग्राहकों के बैंक खाते / खातों में "आधार कार्ड संख्या" को जुडवाने हेतु अपने स्तर से ग्राहकों को प्रेरित करें। सभी बैंक अपने खाताधारकों के खाते में "आधार कार्ड संख्या" को जोड़ने का कार्य शीघ्र पूर्ण करें, ताकि सरकार द्वारा दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा लाभ राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ऑन-लाइन प्रक्रिया के माध्यम से अंतरित की जा सकें।

खोले गए खातों की संख्या	रू-पे डेबिट कार्ड की संख्या	खातों में आधार सिडिंग की संख्या
20,56,687	15,57,569	6,72,355

(ग) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा

दिनांक 31 जनवरी, 2016 तक बैंकों में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत **कुल 10,87,253**

घ) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा

दिनांक 31 जनवरी, 2016 तक बैंकों में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत **कुल 3,16,086**

ङ) अटल पेंशन योजना

अटल पेंशन योजना के अंतर्गत **कुल 14,762** व्यक्तियों का पंजीकरण किया जा चुका है।

अग्रणी जिला प्रबंधकों से अनुरोध है कि प्रत्येक जिले में सभी बैंकों के सहयोग से अभियान चलाकर इन योजनाओं के अंतर्गत समस्त खाताधारकों का पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें।

च) स्टार्ट-अप-इण्डिया - स्टेण्ड-अप-इण्डिया इस योजना के अंतर्गत जनजाति, दलित एवं महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने हेतु बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किए जाने हैं। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक से इस योजना से संबंधित पूर्ण विवरण प्राप्त होना प्रतीक्षित है।

8. कृषि ऋण

क) मियादी एवं फसली ऋण वितरण

राज्य में प्रमुख बैंकों ने विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विभाग द्वारा आयोजित "कृषक महोत्सव" में पूर्ण सहयोग देते हुए कुल ₹ **717 लाख** के ऋण वितरित किए गए हैं जिसमें ₹ **224 लाख मियादी** एवं ₹ **493 लाख फसली** ऋण हैं।

ख) मॉडिफाइड राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

राज्य सरकार द्वारा मॉडिफाइड राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत सभी बैंक पात्र कृषकों की फसलों का बीमा अनिवार्य रूप से करवाना सुनिश्चित करें।

संसूचित फसल का नाम	लाभार्थी कृषक की संख्या	बीमित राशि	कुल प्रीमियम का भुगतान
गेहूं	43,453	135.00	2.12

9. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य किसी महत्वूपर्ण विषय पर चर्चा।